निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1931 (श0)

(सं0 पटना 445) पटना, मंगलवार, 25 अगस्त 2009

सं0 ग्रा०वि०-3/अभि-विविध-15/08—6479

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

27 जुलाई 2009

विषय—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी.- 6263/07 रूपा कुमारी शर्मा एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं सी.डब्ल्यू.जे.सी.- 6467/07 मंजू कुमारी एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार तथा एम.जे.सी.- 1544/08 एवं एम.जे.सी.-1189/08 में पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 1624 दिनांक 22 फरवरी 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) (तत्कालीन सांख्यिकी अन्वेषक सहित) एवं महिला प्रसार पदाधिकारी को डी.आर.डी.ए. में योगदान की तिथि से सरकारी सेवक मानने के संबंध में ।

सी.डब्ल्यू.जे.सी.-6543/91 एवं एम.जे..सी.-294/2000 तथा एम.जे.सी.-1839/2005 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त इस विभाग के संकल्प संख्या- 1624 दिनांक 22 फरवरी 2007 द्वारा गैर योजना मद में प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) के 219 पद तथा महिला प्रसार पदाधिकारी के 280 पद सृजित किये गये तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में पदस्थापित 166 प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं 53 सांख्यिकी अन्वेषकों को प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) के सृजित पद एवं 280 महिला प्रसार पदाधिकारियों को सृजित पदों पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय आदेश संख्या-2828 दिनांक 29 मार्च 2007 द्वारा इन पदाधिकारियों को सृजित पदों पर समायोजन किया गया। उक्त संकल्प में यह स्पष्ट नहीं था कि किस तिथि से इन पदाधिकारियों को सरकारी सेवक माना जाय।

2) सरकार के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.जे.सी.- 6263/07 रूपा कुमारी शर्मा एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं सी.डब्ल्यू.जे.सी.- 6467/07 मंजू कुमारी एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य अनेकों याचिकाएँ दायर की गयी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी याचिकाओं में दिनांक 06 फरवरी 2008 को यह आदेश पारित किया गया है कि प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) बिहार लोक सेवा आयोग / अवर सेवा चयन पर्षद के अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के आलोक में डी.आर.डी.ए. में योगदान किये थे तथा महिला प्रसार पदाधिकारी को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की गई थी । अतः प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं महिला प्रसार पदाधिकारी को डी.आर.डी.ए. में योगदान की तिथि से ही सरकारी सेवक माना जाय तथा सरकारी सेवकों को दी जाने वाली सारी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाय तथा इनका सेवा संवर्ग नियमावली का गठन किया जाय ।

3) माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में इस विभाग के पत्रांक 15735 दिनांक 05 दिसम्बर 2008 एवं 15736 दिनांक 05 दिसम्बर 2008 द्वारा क्रमशः महिला प्रसार पदाधिकारी एवं प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) का सेवा संवर्ग नियमावली निर्गत किया जा चुका है ।

4) राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2009 को लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 1624 दिनांक 22 फरवरी 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) (तत्कालीन सांख्यिकी अन्वेषक सहित) एवं महिला प्रसार पदाधिकारियों को डी.आर.डी.ए. में योगदान की तिथि से सरकारी सेवक घोषित करने एवं इन्हें सेवा संवर्ग नियमावली के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 445-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in